भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/15/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 14.08.2024

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला संख्या : एडी (ओआई) - 13/2024

विषय: वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/15/2024-डीजीटीआर: भारतीय इस्पात संघ ("आईएसए") ने घरेलू उत्पादकों, अर्थात् जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (इसके बाद सामूहिक रूप से "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" के रूप में संदर्भित) की ओर से नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (इसके बाद "एडी नियम" या "नियम" के रूप में संदर्भित), "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने की मांग विचाराधीन" या "पीयूसी"), वियतनाम में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित (जिसे आगे "विषयगत देश" कहा जाएगा)।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को विषयगत देश से डंप कीमतों पर आयात किया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि डंप आयात के कारण घरेलू उद्योग को और अधिक नुकसान होने

का खतरा है और उन्होंने विषयगत देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विषयगत जांच में विचाराधीन उत्पाद "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद हैं, जो 25 मिमी तक की मोटाई और 2100 मिमी तक की चौड़ाई के, आवरणयुक्त, प्लेटेड या लेपित नहीं हैं"।

4. पीयूसी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किए गए हैं और मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं, प्राइम या नॉन-प्राइम स्थिति में हैं जिनमें 'जैसा-रोल्ड' किनारा या 'छंटनी' किनारा या 'स्लिट' किनारा या 'मिल्ड' किनारा या 'शियर्ड' किनारा या 'लेजर-कट' किनारा या 'गैस-कट' किनारा या किसी अन्य प्रकार का किनारा है। ये उत्पाद पिकल्ड या नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास या टेम्परिंग के साथ या बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, सामान्यीकृत या गैर-सामान्यीकृत, अल्ट्रा-सोनिक रूप से परीक्षण किए गए या बिना परीक्षण किए, तेलयुक्त या बिना तेलयुक्त आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद 'जैसा-रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से नियंत्रित रोल्ड' या 'नियंत्रित रोल्ड' या 'सामान्यीकृत रोल्ड' या 'सामान्यीकृत' या किसी अन्य समान प्रक्रिया के अधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों को विभिन्न प्रसंस्करण चरणों जैसे कि पिकलिंग, ऑइलिंग, रिवाइंडिंग, रीकॉइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि से गुजरना पड़ सकता है। इन उत्पादों को सैंड ब्लास्ट या शॉट ब्लास्ट किया जा सकता है या इसी तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। पीयूसी में कॉइल में गर्म-रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल हैं और लंबाई में कटे हुए हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऑटोमोटिव, तेल और गैस लाइन पाइप/अन्वेषण, कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद, पाइप विनिर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और निर्माण, निर्माण, पूंजीगत सामान, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरियों, मिट्टी-ढलाई आदि के लिए प्रक्रिया उपकरण में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 7208, 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

7. विचाराधीन उत्पाद में स्टेनलेस स्टील के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल नहीं हैं।

8. याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव दिया है:

विषयगत वस्तुओं के लिए प्रस्तावित पी.सी.एन.				
क्र.सं.	**गुण**	**अंकों की संख्या**	**विवरण**	**कोड**
1	उत्पाद का प्रकार	1	मिश्र धातु	ए
			गैर मिश्र	एन
2	मोटाई	1	5 मिमी तक	सी
			5 मिमी से अधिक और 25 मिमी तक	डी
3	चौड़ाई	1	1500 मिमी तक	यू
			1500 मिमी से अधिक और 2100 मिमी तक	एम

9. वर्तमान जांच में शामिल पक्ष, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और प्रस्तावित पी.सी.एन., यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां, इस जांच के प्रारंभ होने के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

10. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

" समान वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जाने वाली जांच के अधीन वस्तु से सभी प्रकार से समरूप या समान है या ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से समान नहीं है, किन्तु उसकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तु से काफी मिलती जुलती हैं;

11. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देश से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं।

12. उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं, और इसलिए इन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनों के लिए, याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को *प्रथम दृष्टया* विषय देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग</u>

13. यह आवेदन भारतीय इस्पात संघ द्वारा घरेलू उत्पादकों अर्थात् जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों ने न तो विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे विषयगत देश में विषयगत वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।

14. अभिलेख में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक अर्थात जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड नियम 2(बी) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>विषय देश</u>

15. वर्तमान जांच में विषय देश वियतनाम है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

16. आवेदकों द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि (जिसे आगे "पीओआई" कहा जाएगा) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 है। हालांकि , प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के लिए पीओआई को 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 (15 महीने) माना है। जांच की अवधि 12 महीने की सामान्य अवधि के बजाय 15 महीने मानी जाती है ताकि पीओआई जांच शुरू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर हो। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल है।

च. <u>डंपिंग मार्जिन गणना</u>

क). **सामान्य <u>मूल्य</u>**

17. स्टीलमिंट (अब बिगमिंट) में रिपोर्ट की गई घरेलू एक्स-वर्क्स कीमत के आधार पर वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकरण ने जांच शुरू करने के उद्देश्य से इसे अपनाया है।

ख). **निर्यात मूल्य**

18. आवेदकों ने बाजार की जानकारी के अनुसार भारत में आयात के दौरान रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत को अपनाया है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की तुलना डीजी सिस्टम के आंकड़ों से की गई है। प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के उद्देश्य से, एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों को अपनाया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए समुद्री माल, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग शुल्क, बैंक शुल्क और कमीशन के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है।

ग). **डंपिंग मार्जिन**

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* पता चलता है कि डंपिंग मार्जिन *न्यूनतम* स्तर से ऊपर है तथा विषयगत देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप</u>

20. विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की मात्रा में घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारत में खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है । विषयगत देश से कीमत में कटौती सकारात्मक है। विषयगत आयातों की पहुंच कीमत का घरेलू उद्योग की कीमतों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण, नकद लाभ, बाजार हिस्सेदारी, लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में इसका प्रदर्शन खराब हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा भी है। इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* सबूत हैं कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है और विषयगत देश से पाटित आयातों के कारण क्षति का खतरा है, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराता है।

ज. शुल्क का पूर्वव्यापी अधिरोपण

21. आवेदकों ने निम्नलिखित का दावा करके पूर्वव्यापी अधिरोपण का अनुरोध किया है:

क) देश में पीयूसी की डंपिंग का स्पष्ट इतिहास है। पीयूसी के आयात पर पूर्व में एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाता था।

ख) वियतनाम के निर्यातकों ने अपेक्षाकृत कम समय में बड़े पैमाने पर डंपिंग की है। जांच अवधि के दौरान डंपिंग मार्जिन काफी अधिक है और हाल की अवधि में डंप की गई कीमतों पर आयात में तेजी आई है।

ग) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। यदि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाकर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को तुरंत नहीं रोका गया तो घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।

22. इच्छुक पक्ष इस अधिसूचना में दी गई समय सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. **<u>एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत</u>**

23. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के डंपिंग से संबंधित *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मौजूद हैं और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति का खतरा है। प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

ञ. **प्रक्रिया**

24. इस जांच में एडी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. **सूचना प्रस्तुत करना**

25. jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, साथ ही एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in को भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

26. विषयगत देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से विषयगत देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो विषयगत वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दाखिल कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभिक अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतिकरण कर सकता है।

28. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को उसका अगोपनीय संस्करण अन्य पक्षों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ठ. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल पते jd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए_, तथा उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in को भेजी जानी चाहिए। यह उस तारीख से 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमों के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

31. इच्छुक पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए DGTR की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in पर नियमित रूप से नज़र रखें। इच्छुक पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे विषयगत जांच में आगे की घटनाओं से अवगत रहने के लिए नियमित रूप से DGTR की वेबसाइट (https://dgtr.gov.in) देखें और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य जानकारी के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के बारे में सूचित रहें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विषयगत जांच से संबंधित सभी इच्छुक पक्ष विषयगत जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह अवगत रहें।

32. जहां कोई इच्छुक पक्षकार प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, तो उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण

प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. <u>गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना</u>

33. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्ष को, एडी नियमों के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के अनुसार, उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न करने पर प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत की जा सकती हैं।

34. प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी प्रस्तुतिकरण (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और अगोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे।

35. "गोपनीय" या "अगोपनीय" प्रस्तुतियाँ प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित की जानी चाहिए। बिना इस तरह के चिह्न के किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकरण द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकरण को अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

36. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है और/या अन्य जानकारी जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे स्वभाव से गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण कथन प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

37. गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (यदि अनुक्रमण संभव

नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के सार को उचित रूप से समझने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांशित करने योग्य नहीं है, और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए सारांशीकरण संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

38. इच्छुक पक्ष, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर, अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

39. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है।

40. बिना किसी सार्थक अगोपनीय संस्करण के या गोपनीयता के दावे पर उचित कारण कथन के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ढ. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

41. पंजीकृत इच्छुक पक्षों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना का गोपनीय संस्करण सभी अन्य इच्छुक पक्षों को ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना का गोपनीय संस्करण प्रसारित न करने पर इच्छुक पक्ष को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. **<u>असहयोग</u>**

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(अजन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी